

## न्यायालय अति० संभागीय आयुक्त , अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)  
अपील एल०आर०ए० संख्या 52/2016 जिला भीलवाड़ा

1. जमनालाल पुत्र गोरधन
  2. भैरूलाल पुत्र मोहन
  3. चम्पालाल पुत्र गोकल जाति बैरवा
  4. अम्बालाल पुत्र सवाईराम
  5. मुकेश पुत्र नंदराम समस्त जाति कुमावत निवासी कारोईकलां तहसील एवं जिला भीलवाड़ा।
- अपीलांटस

बनाम्

1. श्री नाथूलाल पुत्र नाहरमल जाति ब्राह्मण निवासी कारोईकलां तहसील एवं जिला भीलवाड़ा,
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा।

—रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय विद्वान जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा दिनांक 12.03.2016 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 02/2016 जिसके द्वारा तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 3355 दिनांक 20.07.2015 यथावत रखा गया है।

उपस्थित अभिभाषक:—श्री आर०एस०राणावत(अपीलांट अभि०)

रेस्पो० अभिभाषक:—श्री लोकपाल सिंह

राजकीय अभिभाषक:—श्री आकाश पारीक

निर्णय

दिनांक:—24.11.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कारोईकलां स्थित बिलानाम आराजी नम्बर 1959/1 रकबा 0.02 गैरमुमकीन बाड़ा रेस्पो० नाथूलाल पिता नाहरमल ब्राह्मण के नाम अस्थाई आवंटन हो रखा है। जिसका अमल—दरामद जमाबंदी में हो गया था। उक्त भूमि को अपने नाम कराने हेतु दिनांक 21.05.2015 को नाथूलाल पिता नाहरमल द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में सीधे ही खातेदारी दर्ज करने बाबत नामांतरण स्वीकृत कर दिया। जबकि उक्त भूमि राजमार्ग की सीमा पर स्थित है। तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील जिला कलक्टर भीलवाड़ा न्यायालय में दर्ज करवायी गई, जिसे उनके द्वारा प्रकरण संख्या 02/2016 में बाद सुनवाई दिनांक 12.03.2016 को खारिज कर दिया गया। जिससे असंतुष्ट होकर वर्तमान द्वितीय अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है—

1. खसरा नम्बर 1959/1 की अलग से नक्शा तरमीम नहीं है।
2. राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.01.2013 के आधार पर उक्त कार्यवाही तहसीलदार द्वारा की गई है मगर अतिक्रमण बाबत कोई दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं तथा अप्रार्थीगण कृषक की श्रेणी में भी नहीं है।
3. विवादित भूमि सड़क सीमा के अंदर है।



4. अस्थाई नियमन को अधिकार अभिलेख में स्थाई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है तथा अप्रार्थी को सीधे ही खातेदारी दी गई जो गलत है। अंत में जिला कलक्टर भीलवाड़ा के निर्णय दिनांक 12.03.2016(प्रकरण संख्या 02/2016) एवं तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा पारित नामांतरण संख्या 3355 दिनांक 20.07.2015 को निरस्त किया जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। जिसके अनुसार यदि स्थगन आदेश नहीं दिया जायेगा तो अप्रार्थी निर्माण कार्य कर लेगा जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अतः मौके एवं राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा प्रकरण संख्या 02/2016 जिला कलक्टर न्यायालय भीलवाड़ा दिनांक 12.03.2016 नामांतरण संख्या 3355 ग्राम कारोईकलां की फोटोप्रति प्रमाणित प्रस्तुत की गई।

न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंड को नोटिसेज जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड मंगवाया जाकर प्राप्त किया गया।

बहस सुनी गई, बहस में वकील अपीलांट ने अपील तथ्यों को दौहराया तथा बताया कि खसरा नम्बर 1959/1 रकबा 0.03 गैरमुमकीन बाड़ा है। उक्त भूमि नेशनल हाईवे की सीमा के भीतर आती है। पूर्व में उक्त भूमि गैर खातेदारी में चढाई हुई थी। इंतकाल खारिज कर पुनः सिवायचक दर्ज किया गया। मगर राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.01.2013 के आधार पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 21.05.2015 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को मंजूर कर दिनांक 15.07.2015 को सीधे ही खातेदार दर्ज किया गया। दिनांक 10.01.2013 के परिपत्र में सड़क सीमा से 100 वर्गगज के भीतर नियमन नहीं करने बाबत निर्देश दिये गये हैं। फिर भी नियम विरुद्ध आदेश दिया गया है। जिसे निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार किया जायें।

सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मियाद के बिन्दु को देखा गया। अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 12.03.2016 का है तथा न्यायालय हाजा में अपील दिनांक 28.03.2016 को प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अपील अंदर मियाद मानी जाती है।

राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.01.2013 का अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा उक्त प्रकरण को निस्तारित किया गया था। उक्त परिपत्र के अनुसार दिनांक 30.01.2006 के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सिवायचक एवं अन्य गैरमुमकीन राजस्व भूमियों पर दिनांक 01.01.1995 से पूर्व आवास गृह व जानवरों के बाड़े बनाकर किये गये अतिक्रमणों को नियमन करने के आदेश जारी किये गये। दिनांक 11.01.2008 के द्वारा अवधि 01.01.1995 को बढ़ाकर दिनांक 01.01.2000 कर दिया गया। इस अवधि को भी राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.01.2013 के परिपत्र से दिनांक 01.01.2005 कर दिया गया।

उक्त परिपत्र के बिन्दु नम्बर 1 में नियमन योग्य नहीं हो सकती है, ऐसी भूमियों का विवरण दिया गया है। बिन्दु संख्या 1 के छठे बिन्दु में यह अंकित है कि रेलवे सीमा अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा राज्य सरकार अथवा पंचायत द्वारा संधारित किसी सड़क के 100 गज में स्थित भूमि का नियमन नहीं किया जा सकेगा तथा इस परिपत्र के बिन्दु संख्या 02 में ऐसे लोगो का विवरण दिया हुआ है, जिन्हें इस परिपत्र का लाभ मिलेगा। इसमें कृषि श्रमिक कारीगर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा बीपीएल परिवार के सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा इसमें अधिकतम भूमि 500 वर्गगज से ज्यादा भूमि नियमित नहीं की जा

सकेगी। इसके परिपत्र के बिन्दु नम्बर 3 में बिन्दु नम्बर 2 के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के मामले में भी इसे 1 जनवरी 2005 से पूर्व अतिक्रमण के मामलों में लागू माना गया है।

जमाबंदी ग्राम कारोई संवत् 2069-72 खाता संख्या 1247 नया खसरा नम्बर 1959/1 रकबा 3 बिस्वा भूमि बाड़े के रूप में दर्ज है तथा उक्त भूमि नाथूलाल पिता नाहरमल ब्राह्मण शाकिन्द अस्थाई गैर खातेदार दर्ज किया हुआ है। प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर 2013 मुकाम कारोईकलां में एलआरएक्ट की धारा 136 के तहत प्रकरण बनाकर उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत किया गया था। जिनके द्वारा प्रार्थना पत्र द्वारा तहसीलदार स्वीकार कर विवादित खसरा से गैर खातेदारी का इन्द्राज दुरुस्त कर खसरा में पैन्सिली इन्द्राज करने का आदेश दिया गया। उक्त आदेश उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 20.02.2013 को प्रशासन गांवों के संग अभियान में दिया गया। उक्त प्रकरण संख्या 817/13 के रूप में दर्ज किया गया था। इस आदेश के पालना में नामांतरण संख्या 3058 दिनांक 16.04.2013 को स्वीकृत किया गया। उक्त नामांतरण की स्वीकृति से भूमि को पुनः इन्द्राज दुरुस्ती के माध्यम से बिलानाम दर्ज की गई। नामांतरण संख्या 3355 दिनांक 20.07.2015 से विवादित भूमि 1959/1 रकबा 0.03 बीघा गैर मुमकीन बाड़ा नाथूलाल पिता नाहरमल ब्राह्मण के नाम खातेदारी दर्ज करने की स्वीकृति दी गई।

लिखित बहस रेस्पोंडेंट अभिभाषक की ओर से प्रस्तुत की गयी। लिखित बहस के अनुसार रेस्पोंडेंट के द्वारा उक्त आराजियात को क्रय किया गया और उचित मूल्य और प्रतिफल देकर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा आराजियात को क्रय किया गया है।

नाथूलाल पिता नाहरमल को दिनांक 16.05.1983 को सशर्त आराजी नम्बर 1959 में 500 वर्गगज भूमि बाड़े के लिये आवंटित की गई थी। जिसकी शर्तें निम्नानुसार थी—

1. प्रार्थी उक्त बाड़े की भूमि पर किसी प्रकार का कच्चा-पक्का काम तामील नहीं करवाया गया।
2. प्रार्थी को इस भूमि को किसी प्रकार का स्वामित्व अधिकार नहीं रहेगा।
3. राज्य सरकार को उक्त भूमि की आवश्यकता होने पर बिना किसी मुआवजे भूमि अधिग्रहण कर दी जायेगी।
4. उक्त भूमि को प्रार्थी किसी के रहन बक्शीश नहीं कर सकेगा।

उक्त आवंटन दिनांक 16.05.1983 में किया गया। परिपत्र दिनांक 10.01.2013 राजस्व ग्रुप-6 विभाग के अनुसार ऐसी भूमियों का नियमन आवास ग्रह व जानवरों के बाड़े हेतु नहीं किया जा सकेगा, जो रेल्वे सीमा अथवा राष्ट्रीय राजपथ अथवा राज्य सरकार अथवा पंचायत द्वारा संधारित किसी सड़क के 100 गज में स्थित भूमि हों।

खसरा नम्बर 1959 भूमि सड़क से अटैच है तथा प्रार्थीया किस कैटेगरी में आती है यह आदेश में अंकन नहीं है। ना ही इस बाबत प्रार्थना पत्र में पटवारी की टिप्पणी में प्रार्थीया की कैटेगरी अंकित की गई है।

नामांतरण संख्या 3058 ग्राम कारोईकलां के कॉलम संख्या 7 में उक्त भूमि नाथूलाल पिता नाहरमल के नाम अस्थाई गैर खातेदार में दर्ज बतायी गई है। कॉलम संख्या 9 में उक्त भूमि खसरा नम्बर 1959/1 बिलानाम काबिलकाश्त दर्ज की गई है। इससे संबंधित आदेश प्रकरण संख्या 817/13 दिनांक 20.02.2013 की पालना में खोला जाना बताया गया।

नामांतरण संख्या 3355 से उक्त भूमि नाथूलाल पिता नाहरमल ब्राह्मण साकिन्देह खातेदार दर्ज कर दी गई। उक्त नामांतरण दिनांक 20.07.2015 को स्वीकृत होना पाया जाता

है तथा नामांतरण की पुस्त पर नक्शाट्रेस चिपका हुआ है। जिस पर 1959/1 को लाल स्याही से पृथक से दिखाया गया है अर्थात् उक्त खसरा नम्बर की तरमीम की गई है।

लिखित बहस में वकील रेस्पो0 द्वारा जो बिन्दु बताया गया है कि रेस्पोंडेंट के द्वारा उक्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदी गई है। ऐसा कोई दस्तावेज उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ना ही पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज दृष्टिगोचर हुआ है। परिपत्र दिनांक 10.01.2013 नियमन से संबंधित है। ना कि आवंटन से और नियमन के प्रकरण में लाभार्थी का उस भूमि पर कब्जा होना अति आवश्यक है और उसके द्वारा ऐसे दस्तावेज भी सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किये जाने चाहिए थे। पत्रावली पर उपलब्ध नाथूलाल के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 21.05.2015 को उनके द्वारा तहसीलदार भीलवाड़ा को प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ नाथूलाल के द्वारा जमाबंदी व पट्टे की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई थी। इस पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 21.05.2015 को ही पटवारी हल्का कारोईकलां को बाद जांच नियमानुसार अमल दरामद किये जाने के निर्देश दिये जायें। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ नाथूलाल द्वारा दिनांक 20.02.2013 का प्रशासन गांवो के संग अभियान का पट्टा प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। उक्त पट्टे के नीचे की तरफ राजस्व ग्रुप-6 विभाग जयपुर राज0-6/2000 दिनांक 10.01.2013 की पालना में जारी किया जाना अंकित किया हुआ है। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न जमाबंदी संवत् 2069-72 ग्राम कारोईकलां की है। उक्त जमाबंदी के कॉलम नम्बर 4 में नाथूलाल पिता नाहरमल ब्राह्मण साकेन्देह अस्थायी गैर खातेदार दर्ज है। इसके सामने की ओर पहले नामांतरण संख्या 3058 दिनांक 16.04.2013 से इन्द्राज दुरुस्ती किया जाकर भूमि को बिलानाम दर्ज करने की स्वीकृति दी गई है। नामांतरण संख्या 3355 दिनांक 20.07.2015 से उक्त भूमि खसरा नम्बर 1959/1 रकबा 0.03 हे0 गैर मुमकीन बाड़ा नाथूलाल पिता नाहरमल ब्राह्मण के नाम सीधे खातेदारी दर्ज करने की स्वीकृति हुई। सन् 1983 में नाथूलाल को पूर्णतः अस्थाई तौर पर भूमि शर्तो के आधार पर उपलब्ध आवंटन करवायी गई थी। सन् 16.05.1983 का मूल आदेश तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा जारी किया गया था। नामांतरण संख्या 700 से भूमि नाथूलाल के नाम गैर खातेदारी में दर्ज की गई थी।

प्रकरण संख्या 817/2013 उनवानी तहसीलदार भीलवाड़ा बनाम नाथूलाल में प्रशासन गांवो के संग अभियान 2013 ग्राम कारोईकलां में उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा तहसीलदार के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया। जिसके अनुसार राजस्व रिकोर्ड में किश्म गैर मुमकीन बाड़ा को गैर खातेदारी में दर्ज किया हुआ है। जबकि गैर मुमकीन बाड़े की केवल खसरा में पेंन्सिली इन्द्राज होनी चाहिए। उक्त प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 20.02.2013 को आदेश जारी किया। जिसमें गैर खातेदारी का इन्द्राज दुरुस्त कर खसरा में पेंन्सिली इन्द्राज करने का आदेश दिया है तथा संबंधित तहसीलदार को पालना करने के निर्देश दिये।

जिला कलक्टर भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 02/2016 उनवानी जमनालाल एवं अन्य बनाम नाथूलाल एवं अन्य निर्णय दिनांक 12.03.2016 का अवलोकन किया गया। अपने निर्णय के अंतिम पैरा में पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 817/2013 आदेश दिनांक 20.02.2013 तथा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.01.2013 का उल्लेख किया गया है तथा इनके अनुसरण में विवादित नामांतरण संख्या 3355 खोला जाकर निर्णित किया है यह अंकित किया है। जबकि प्रकरण संख्या 817/2013 में उपखण्ड अधिकारी द्वारा ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है, जिसमें नाथूलाल को खातेदार घोषित किया हों। अपितु पूर्व राजस्व इन्द्राज को(गैर मुमकीन बाड़ा की गैर खातेदारी) के अंकन को गलत दर्ज होने से दुरुस्त करने का आदेश दिया तथा सिर्फ खसरा में इस बाबत अंकन करने का निर्देश दिया है। मगर अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों ने मनमाने तरीके से बिना सक्षम आदेश के बिल्कुल अविधिक तरीके से

नामांतरण संख्या 3355 खोलते हुए नाथूलाल को खातेदारी दी है। जिसे किसी भी हाल में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। उक्त नामांतरण में तहसीलदार के आदेश दिनांक 21.05.2015 का हवाला है। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार उनके द्वारा नाथूलाल के प्रार्थना पत्र पर बाद जांच नियमानुसार अमल दरामद की कार्यवाही करने का निर्देश मात्र है।

तहसीलदार द्वारा उक्त निर्देश नाथूलाल के प्रार्थना पत्र के संलग्न पट्टा दिनांक 20.02.2013 के संबंध में दिया गया। उक्त पट्टा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.01.2013 की पालना में जारी किया गया था। उक्त परिपत्र नियमन से संबंधित है। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त प्रार्थना पत्र के साथ नियमन से संबंधित कोई दस्तावेज यथा खसरा गिरदावरी कोई मौका रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना नहीं पाया जाता है। फिर भी यदि यह मान लिया जाये कि पुराने आदेश दिनांक 16.05.1983 के क्रम की निरंतरता में जारी किया गया हो तो उसमें अंतिम प्रभावी आदेश उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा का है जिसमें गैर खातेदारी के इन्द्राज को हटाने का निर्देश दिया गया था तथा खसरा में पेंन्सिल से इन्द्राज करने के निर्देश दिये गये थे। अप्रार्थीया द्वारा तथ्यों को छुपाकर प्रार्थना पत्र पेश कर लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तुत विवेचन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा कोई आदेश नाथूलाल के पक्ष में खातेदारी दर्ज करने का नहीं दिया गया था। अंतिम प्रभावी आदेश दिनांक 20.02.2013 का ही उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा का था। जिसमें खातेदारी दर्ज करने बाबत कोई आदेश नहीं था। राजस्व कार्मिकों में मनमर्जी से उक्त कार्यवाही की है। जिसे अपास्त किया जाना उचित होगा। अपील अपीलांत स्वीकार योग्य है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार भीलवाड़ा दिनांक 21.05.2015 एवं प्रथम अपील अधिकारी निर्णय दिनांक 12.03.2016 निरस्त किये जाने योग्य है।

### क्रियात्मक आदेश

अपील अपीलांत स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.05.2015 तहसीलदार भीलवाड़ा एवं जिला कलक्टर भीलवाड़ा निर्णय दिनांक 12.03.2016 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 02/2016 बउनवानी जमनालाल बनाम नाथूलाल खारिज किया जाता है। नामांतरण संख्या 3355 दिनांक 20.07.2015 ग्राम कारोईकलां निरस्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 24.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)  
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त  
अजमेर